भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2257

08 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

विद्युत-अपघटित इस्पात का विनिर्माण

2257 श्री खगेन मुर्मु:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों ने विद्युत-अपघटित इस्पात के आयात को समाप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नीति की तर्ज पर कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विद्युत-अपघटित मिश्र धातु इस्पात का आयात कम करने हेतु इसका स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने और घरेलू स्तर पर विनिर्मित उत्पाद की खरीद शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): इस्पात उद्योग एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और किन्हीं इस्पात ग्रेडों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने संबंधी निर्णय व्यक्तिगत कंपनी द्वारा तकनीकी-आर्थिक सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) 08 मई, 2017 को अधिसूचित राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए इस्पात और उच्च ग्रेड ऑटोमोटिव इस्पात, इलैक्ट्रिकल इस्पात, विशेष इस्पात और मिश्र धातुओं की समग्र माँग को स्वदेशी रूप से पूरा करने की परिकल्पना की गई है।

(ii) स्वदेशी रूप से उत्पादित इस्पात के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौहा और इस्पात उत्पाद नीति (डीएमआई एंड एसपी) को अधिसूचित किया गया है।

(iii) सरकार ने इस्पात और इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं, जिनके माध्यम से इसने 145 लौहा एवं इस्पात उत्पादों के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरें में आईएस-17404:2020 (इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड इस्पात शीट और स्ट्रिप) शामिल हैं।

(iv) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 'विशिष्ट इस्पात (स्पेशियलटी स्टील)' भी शामिल हैं।

****